नन्द सिंह बनाम सदीप सिंह

मुकदमा वाद-पत्र नं0 34/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
7/2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 4 व 5 तथा 14 से 16 के नोटिस प्रोसेस जरिए रजि. AD नये पते पर भरकर पेश करने का अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वकील वादी द्वारा दिनांक 23/02/2022 से 11 (ग्यारह) अवसर अलग-अलग पेशी दिनांक को दिए जाने के बावजूद भी नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत नहीं किए। दिनांक 10/01/2023 को प्रतिवादी सं. 4 व 5 के नोटिस प्रोसेस पेश किए तथा शेष प्रतिवादी सं. 14 से 16 के नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत नहीं किए गए, प्रतिवादी सं. 4 व 5 के भी पुराने पते पर ही नोटिस प्रोसेस भरकर पेश किए। वकील वादी को लगातार एक वर्ष चार माह तक नोटिस प्रोसेस नये पते पर भरकर पेश करने के अवसर दिए गए किन्तु वकील वादी द्वारा आज दिनांक तक भी नोटिस प्रोसेस भरकर पेश नहीं किए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि वकील वादी को वाद-पत्र चलाने में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। न [illegible] कार्यवाही करने की रुचि है। वकील [illegible] अवसर दिए जाने के [illegible] प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वकील द्वारा न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद किया है। अत: वाद-पत्र को (O) 9 (R) 5 CPC के तहत नोटिस प्रोसेस के अभाव में इसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2023.08.22 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested